सवारी गाड़ी का रिवाड़ी में होने वाला वर्तमान मेल भी न हो पायेगा ।

अलवर में रेलवे फाटक पर रेलवे पुल

1124. **श्री भोला नाथ मास्टर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलवर सिटी राजस्थान में, जो राष्ट्रीय राजपथ संख्या 8 पर स्थित है और जो जिला मुख्यालय है तथा पर्यटकों का केन्द्र है, के रेलवे फाटक पर निचला या ऊपरी पुल बनाने की एक योजना कुछ वर्षों से रेलवे के विचाराधीन है; और

(ख) राजस्थान के मुख्य मंत्री द्वारा पत्र लिखने के बावजूद भी निर्माण के कार्य में ढील पड़ने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान नियमों के अन्तर्गत किसी समपार की जगह ऊपरी सड़क पुल/लाइन के नीचे पुल बनाने की लागत रेलवे और सड़क प्राधिकारी के बीच बांटी जाती है । मोटे तौर पर इस समय लागू नियमों के अन्तर्गत 24 फुट चौड़े सड़क-मार्ग के लिए ऊपरी सड़क पुल/लाइन के नीचे पुल की लागत का 50 प्रतिशत खर्च (इसमें जमीन की लागत शामिल नहीं है) रेलवे उठाती है और शेष 50 प्रतिशत, साथ ही पहुँच मार्ग के लिए यदि जमीन खरीदनी पड़े तो उसकी लागत सड़क प्राधिकारी द्वारा दी जाती है । जनवरी, 1962 में राजस्थान सरकार द्वारा अलवर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर वर्तमान समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव रखा गया था लेकिन इस योजना में कोई प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक अग्रता और अन्य सम्बद्ध तकनीकी ब्यौरा नहीं दिया गया । यह मामला जून, 1968 में रेलवे द्वारा अलवर नगरपालिका के पास भी भेजा गया था लेकिन उसने अपने हिस्से की लागत उठाने में अपनी असमर्थता बतायी । दिसम्बर, 1968 में राजस्थान सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में इस प्रस्ताव पर काम शुरू करने की इच्छा प्रकट की जैसे ही राज्य सरकार/नगरपालिका अपने हिस्से की लागत देने को सहमत हो जायेगी, रेलवे समपार की जगह ऊपरी सड़क-पुल बनाने के लिए अपने हिस्से के काम को शीघ्रता से पूरा करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करेगी ।

राजस्थान में जिप्सम के निक्षेपों का उपयोग

1125. **श्री भोला नाथ मास्टर** : **क्या इस्पात, खान और धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जिप्सम निक्षेपों का उचित प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस खनिज सम्पत्ति का उचित प्रयोग करने के लिये राजस्थान में कोई कारखाना स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Damage to Railway Property by Telengana Agitators

1126. SHRI D. N. PATODIA:
SHRI ONKAR LAL BERWA:
SHRI N. R. LASKAR:
SHRI CHENGALRAYA NAIDU: